(7)

Most Urgent

प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकुला।

सेवा में

राज्य के समस्त
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक 4/37–2013 एम.डी.एम(1)
दिनांकः पंचकूला 18-7-2013

विषयः **हरियाणा राज्य में मिड–डे–मील स्कीम को सुचारू रूप से चलाने बारे।**

....

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

निदेशालय द्वारा मिड–डे–मील स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको बार–बार दिशा–निर्देश दिए जा चुके हैं। अतः निदेशालय द्वारा पुनः दिशा–निर्देश जारी करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि **भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्न उठाने बारे एवं मिड–डे–मील को तैयार करने एवं बच्चो को खाना परोसने बारे निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः–**

1. मिड–डे–मील से सम्बन्धित खाद्यान्न के उठान से पहले निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः–

   क. भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्न उठाने से पहले उसकी गुणवत्ता तथा वजन को भली प्रकार से जांच लें।

   ख. खुले में रखे खाद्यान्न की कोई भी उठान न करवाएं।

   ग. केवल उठान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से ही करवाएं।

   घ. जिस दिन खाद्यान्न की उठाई हो, उस दिन ज़िला मौलिक शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी या खण्ड शिक्षा अधिकारी में से एक अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेगा। यदि बाद में खाद्यान्न की गुणवत्ता सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उस अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

   ड़ अपने–अपने जिलों से सम्बन्धित सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगें कि हैफेड द्वारा जब भी खाद्यान्न देने आएंगे, उस समय स्वयं सहायता समूह का कोई न कोई सदस्य खाद्यान्न को लेने के लिए विद्यालय में उपस्थित रहेगा। इस खाद्यान्न को लेने से पहले भली प्रकार से उन द्वारा लाए गए कांटे से नाप–तोल कर लें और पूरे खाद्यान्न का वजन लेना सुनिश्चित करें। यदि किसी स्वयं सहायता समूह द्वारा खाद्यान्न लेने से इन्कार किया जाता है तो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।

2 **मिड–डे–मील तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाए:–**

क. मिड–डे–मील तैयार करते समय मिड–डे–मील में प्रयोग किए जाने वाले खाद्यन्न/बर्तनों को भली प्रकार से साफ करवाकर साफ सुथरे बर्तनों में ही मिड–डे–मील डलवाएं तथा तैयार मिड–डे–मील को साफ सुथरे स्थान पर रखवाएं तथा स्वच्छता से छात्रों में मिड–डे–मील को परोसा जाए। बाजार से खुला तेल/घी खरीदने के बजाये, सील बन्द अच्छी कम्पनी का तेल अथवा घी प्रयोग किया जाए।

ख मिड–डे–मील किचन मे ही तैयार किया जाए। खुले में अथवा वृक्ष के नीचे खाना तैयार न करवाया जाए।

3 **मिड–डे–मील परोसने से पहले निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाए:–**

क. मिड–डे–मील स्वच्छता से छात्रों को परोसने से पूर्व स्कूल के सभी छात्र–छात्राओं के हाथ अच्छी तरह साबुन से धुलवाए जाएं एवं मिड–डे–मील खाने के उपरान्त भी सभी छात्र–छात्राओं के हाथ साबुन से अच्छी तरह धुलवाना सुनिश्चित करें।

ख. निदेशालय द्वारा अपराह्न भोजन योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले 16 व्यजनों में से जो भी व्यंजन बनाया जाए वह सभी व्यंजन विद्यालय प्रांगण तथा स्कूल के मुखिया की देख–रेख में बनेंगें। स्कूल का मुखिया यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता और मात्रा ठीक हो और **स्कूल का मुखिया बच्चों को परोसने से पहले भोजन को चखेगा।**

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी समय–समय पर स्कूलों में मिड–डे–मील का निरीक्षण करें तथा सुनिश्चित करें कि बच्चों के लिए दिया जाने वाला मिड–डे–मील साफ–सुथरा व अच्छी गुणवत्ता का दिया जा रहा है तथा निरीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट प्रतिदिन निदेशालय में भिजवायें।

जिन जिलों में ईस्कॉन द्वारा मिड–डे–मील दिया जा रहा है उन जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के मुखिया/स्कूल के मिड–डे–मील इंचार्ज को निर्देश दें कि ईस्कॉन द्वारा सप्लाई किये जाने वाले मिड–डे–मील को भली प्रकार से चैक करें, साफ सुथरे बर्तनों में डलवाकर साफ स्थान पर रखवाएं और स्वच्छता से बच्चों में परोसने के पूर्व सम्बन्धित स्कूल के मिड–डे–मील इंचार्ज द्वारा मिड–डे–मील स्वयं चखने उपरान्त सुनिश्चित करें कि मिड–डे–मील ठीक बना है, यदि किसी प्रकार का दूषित या ठीक खाना न बना हो, तब तुरन्त ईस्कॉन को सूचित करें।

कृप्या उपरोक्त दिशा निर्देशों की दृढता से पालना करें।

Sd/- 18/7

अतिरिक्त निदेशक मिड–डे–मील
कृते महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

-8-

पृष्ठांनक क्रमांक –सम–   दिनांकः पंचकूला 18-7-2017

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. राज्य के समस्त अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि कृपया अपने जिले से सम्बन्धित स्कूलों में दिए जा रहे मिड–डे–मील का समय–समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।
2. श्री धंनजय कृष्ण दास, निदेशक, ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउडेशन, अली गांव नजदीक बारात घर, मथुरा रोड़, नई दिल्ली–110044, को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।
3. निदेशक ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउडेशन, कम्युनिटी सैंटर, सैक्टर 7–ए, बिहाईंड सेन्ट जोन पब्लिक स्कूल, नज़दीक सत्या सिनेमा, फरीदाबाद–121006 को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।

o/c अतिरिक्त निदेशक मिड–डे–मील
कृते महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला